एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 04, अंक: 03 (मई-जून, 2024)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा

(*कोमल एवं डॉ. कविता दुआ)
संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान विभाग, आई.सी. सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-125004, हरियाणा, भारत
*संवादी लेखक का ईमेल पता: komalsuthar097@gmail.com

भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या है। यह विशेष रूप से गाँवों और शहरों के अलग-अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। घरेलू हिंसा का परिभाषित क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, और सामाजिक प्रकार की हिंसा शामिल है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में से एक शक्ति के असमान वितरण की समस्या है। धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रथाओं, और सामाजिक रूपों के कारण, महिलाएं अक्सर अपने हकों के लिए संघर्ष करने में असमर्थ होती हैं। इसके अलावा, कई बार पुराने और संविदानिक नियमों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की कमी होती है। भारतीय समाज में महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता है। समाज में जागरूकता फैलाना और समर्थन संरचनाओं को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। सरकार को भी सख्त कानूनी कदम उठाने चाहिए ताकि घरेलू हिंसा को रोका जा सके। इस समस्या का समाधान केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं हो सकता, बल्कि समाज के सभी स्तरों पर भी जिम्मेदारी है। परिवारों को औरतों के सम्मान और सुरक्षा की प्राथमिकता बनानी चाहिए और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की साहस और शक्ति प्रदान करनी चाहिए। साथ ही, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, और रोजगार के मौके प्रदान किए जाने चाहिए।

भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं, जो घरेलू हिंसा के खिलाफ उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ये कानूनी प्रावधान महिलाओं को उनके संविधानिक और मानवाधिकारों का लाभ उठाने में मदद करते हैं और उन्हें घरेलू हिंसा के प्रति रक्षा करने के लिए कठोर कार्रवाई करने की सुनिश्चित करते हैं। यहाँ, हम कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर ध्यान देंगे जो भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं:

1. दहेज प्रताड़ना (धारा 498-ए): यह कानूनी प्रावधान दहेज के लिए महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ है। इसके तहत, धारा 498-ए के तहत किसी भी महिला को धारा 498-ए द्वारा बचाने का अधिकार होता है, जब वह अपने पति या पति के परिवार द्वारा उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे किसी प्रकार की उत्पीड़ना, शारीरिक या मानसिक हानि, या उसके अधिकारों के उल्लंघन का शिकार होती है।

2. धारा 304 बी (एसीआर): इस कानूनी प्रावधान के तहत, धारा 304 बी (एसीआर) के तहत, किसी भी महिला के लिए उत्पीड़न करने के मामले में अदालत को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश देने का अधिकार होता है।

3. धारा 125 (3) (आर्य): यह कानूनी प्रावधान पति या संबंधित अविवाहित पुरुष द्वारा पत्नी या संबंधित महिला के लिए नियमित निर्णय के तहत आवश्यक शारीरिक और आर्थिक संबंधित आर्थिक संबंधों का आदान-प्रदान करने के लिए होता है।

ये केवल कुछ मामले हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय कानूनी प्रावधानों का एक छोटा सा झलका है। इन कानूनों का उचित पालन करने से समाज में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलेगी, और घरेलू हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी। इन कानूनों की प्राथमिकता और विस्तार के साथ, हम एक समर्थ और सुरक्षित समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां हर महिला का सम्मान किया जाता है और उसके अधिकारों का पूरा लाभ उठाया जाता है।

अंत में, हमें एक समाज बनाना होगा जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करती है और उसके अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकती है। घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई में समाज को एकजुट होकर काम करना होगा।